संख्या 1083 /I(2)/2022/05-05/2018

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 10 सितम्बर, 2022

विषयः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही शासन की अनुमति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में स्थानान्तरण सत्र समाप्त होने के पश्चात भी स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है, जो शासकीय नियमों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का उल्लघन है वर्तमान में मानसून सत्र प्रारम्भ होने के दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियों में स्थानान्तरण की कार्यवाही शासकीय हित में उचित नही है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए की जायेगी।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

Scanned with CamScanner